भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1483

जिसका उत्तर 27 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

कोयला खदानों में अग्नि–दुर्घटनाएं

1483. श्री डी॰एन॰वी॰ सेंथिलकुमार एस॰:
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:
डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कोयला खदानों में बार–बार होने वाली अग्नि–दुर्घटनाओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान देश की विभिन्न कोयला खदानों विशेषकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड में हुई अग्नि–दुर्घटनाओं की कंपनी–वार और राज्य–वार संख्या कितनी है और इनमें जान–माल की कितनी हानि हुई है;

(ग) लगातार हो रही अग्नि–दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध, आज की तिथि तक, कम्पनी–वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन कोयला खदानों में श्रमिकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कंपनी–वार कितनी निधि आबंटित और व्यय की गई तथा विगत तीन वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कंपनी–वार कितनी निधि जारी की है; और

(च) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों तथा सिंगरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) की खानों में बार-बार अग्नि दुर्घटनाएं नहीं हुई थीं। तथापि, पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष में एनसीएल तथा बीसीसीएल की खानों में कुछ अग्नि-दुर्घटनाएं हुई थीं।

पिछले पांच वर्षों में विभिन्न कोयला खानों में हुई अग्नि-दुर्घटनाओं का कंपनी-वार और राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

कंपनी	अग्नि-दुर्घटना की तारीख	खान	राज्य
ईसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल, एमसीएल, एससीसीएल	अग्नि-दुर्घटनाओं के कारण जान-माल की कोई हानि नहीं हुई है।		
बीसीसीएल	19.08.2015	राजापुर ओसीपी	झारखण्ड
एनसीएल	02.06.2016	खड़िया ओसीपी	उत्तर-प्रदेश
	05.05.2018	दुधीचुआ ओसीपी	मध्य-प्रदेश

(ग): भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अग्नि-दुर्घटनाओं के कारण निम्नानुसार हैं:

कंपनी	अग्नि-दुर्घटना की तारीख	खान	राज्य	अग्नि-दुर्घटना के कारण	जान-माल की हानि
बीसीसीएल	19.08.2015	राजापुर ओसीपी	झारखण्ड	भीषण कोयला सीम पर कार्य करते समय एक शॉवेल प्रचालक जल गया।	1 मृत्यु
एनसीएल	02.06.2016	खड़िया ओसीपी	उत्तर-प्रदेश	टिप्पर के डीज़ेल टैंक मे डीज़ेल सर्किट से एयरलॉक को हटाते समय आग लगने से चोट लगना।	1 मृत्यु
	05.05.2018	दुधीचुआ ओसीपी	मध्य-प्रदेश	सीएचपी में ऑक्सीजन सिलेंडर के अकस्मात फटने के कारण आग लगने से चोट लगना।	1 मृत्यु

(घ): इस संबंध में की गई जांच का उल्लेख नीचे किया गया है:

बीसीसीएल: जांच आईएसओ द्वारा की गई थी और आग से निपटने के लिए एसओपी का कड़ा अनुपालन करने की सिफारिश की गई। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अग्नि-दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध बीसीसीएल द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई थी।

i. श्री एस. एम. असलम, प्रबंधक (निष्कर्षण) - चेतावनी पत्र जारी किया गया।
ii. श्री जे. के. मिश्रा, वरिष्ठ प्रबंधन(खान) चेतावनी पत्र जारी किया गया।
iii. श्री हरिशंकर नोणिया, फोरमैन प्रभारी (विद्युत) - चेतावनी पत्र जारी किया गया।
iv. श्री सुरेश कुमार मुंडा, वरिष्ठ मैकेनिक (रख-रखाव) - चेतावनी पत्र जारी किया गया।

एनसीएल: आंतरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ) और डीजीएमएस अधिकारियों द्वारा जांच की गई है। संबंधित ब्यौरा नीचे उपलब्ध कराया गया है:

क्र.सं.	विवरण	निष्कर्ष	सिफारिशें	उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई
1	श्री मो. फिरोज अंसारी की दिनांक 02.06.2016 को हुई घातक दुर्घटना	टिप्पर की बैटरी के साथ वायपर मोटर का उपयोग करने की गलती	(1) आउटसोर्सिंग कार्यों के सभी कार्यकलापों का एसओपी तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना। (2) श्रमिकों के मध्य सुरक्षा संबंधी जागरूकता में वृद्धि करने के लिए सुरक्षा संबंधी बातचीत का आयोजन करना।	निचले पद पर पदावनति-2 व्यक्ति आलोचना करना-1 व्यक्ति
2	श्री लालमन गुप्ता की दिनांक 05.05.2018 को हुई घातक दुर्घटना	सिलेण्डर पर डोज़र चलने के कारण ऑक्सीजन सिलेण्डर का फटना	(1) उपयुक्त रखरखाव (2) कार्य एक सक्षम पर्यवेक्षक की सतत निगरानी में किया जाएगा। (3) श्रमिक को उपयुक्त रूप से कार्य की सूचना देना	एक वेतनवृद्धि रोक दी गई - 3 व्यक्ति ज्ञापन जारी किया गया - 1 व्यक्ति

(ड.): कोयला कंपनियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले 3 वर्षों के दौरान इन कोयला खानों में कर्मचारियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवंटित और व्यय की गई निधि का कंपनी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(**सभी आंकड़े लाख रूपये में**)

कंपनी	**वर्ष 2016-17**		**वर्ष 2017-18**		**वर्ष 2018-19**	
	आवंटित निधि	उपयोग में लाई गई निधि	आवंटित निधि	उपयोग में लाई गई निधि	आवंटित निधि	उपयोग में लाई गई निधि
ईसीएल	22304	18078	22605	17092	20214	13933
बीसीसीएल	23474	18628	21929	18016	19478	9219
सीसीएल	2250	1924	2700	2141	1764	146
एनसीएल	6632	5780	9795	9565	11300	2538
डब्ल्यूसीएल	10891	10511	9000	9065	8400	5848
एसईसीएल	21500	19271	19751	17735	18100	14523
एमसीएल	6095	6015	6649	6415	6774	5326
एससीसीएल (पूंजी)	1069	145	1365	1133	961	1034

उक्त अग्नि-दुर्घटनाओं के मुआवजे के लिए धनराशि निम्नानुसार प्रदान की गई है:

बीसीसीएल: राजपुर ओ.सी. दुर्घटना पीड़ित के निकटतम संबंधी को 639200 रूपये का मुआवजा दिया गया था।

एनसीएल: मुआवजे का ब्यौरा:

परियोजना	दुर्घटना की तारीख	मृतकों के नाम	मुआवजा
खेड़िया (उत्तर-प्रदेश)	02.06.2016	श्री मोहम्मद फिरोज अन्सारी, ठेके पर दिया गया कर्मचारी	रु. 8,67,640
दुधिचुआ (उत्तर-प्रदेश)	05.05.2018	श्री ललमान गुप्ता, फ़िटर (श्रेणी- VI)	रु. 4,98,800

(च): खानों में होने वाली अग्नि-दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन।
- एसएमपी (सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं) को तैयार करना और इसे कार्यान्वित करना।
- ऊष्मायन अवधि के भीतर पैनलों का निष्कर्षण करने, पुराने कामकाजों का खंडीकरण करने, अक्रिय गैस प्रधावन करने, दबाव को संतुलित करने की योजना बनाने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।
- खानों की सुरक्षा-लेखा परीक्षा की जा रही है।
- सभी भूमिगत खानों में आग के लक्षण/आग का पता लगाने वाला उपकरण।
- ट्रीगर ऐक्शन रिस्पांस प्लान (टीएआरपी) सहित प्रींसिपल हेजार्ड मैनेजमेंट प्लान (पीएचएमपी) को तैयार करना और इसे कार्यान्वित करना।

*****